पत्रांक/जी0एस0टी0/ जी0एस0टी0एन0 पोर्टल–63/2017–18/ 179 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
मुख्यालय लखनऊ।

विषय--पंजीकृत व्यापारियों के जी0एस0टी0 में माईग्रेशन विषयक।

(जी0एस0टी0 अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक ::** 1 जून ~~मई~~, 2017

महोदय,

जी0एस0टी0एन0 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 01.06.2017 से 15 दिनों के लिये एनरोलमेंट विन्डों को पुनः सक्रिय किया जा रहा है। इस अवधि में निम्न कार्यों को पूर्ण कराया जाना अपेक्षित है--

1. जिन पंजीकृत व्यापारियों को प्रोविजनल आई0डी0 तथा पासवर्ड टोकन प्राप्त हो चुका है, उनका माईग्रेशन/एनरोलमेंट कराया जाना है।

2. जिन व्यापारियों द्वारा माइग्रेशन किया जा चुका है, परन्तु अभी तक अन्तिम रूप से एनरोलमेंट नहीं किया है या फार्म भर कर अन्तिम रूप से Submit नहीं किया है, यह कार्यवाही पूर्ण की जानी है।

व्यापारी वर्ग को यह अवगत कराया जाना आवश्यक है कि एनरोमेंट फॉर्म को पूर्ण करके इस फाईल (Submit) करने हेतु नियम 17 के अनुसार जी0एस0टी0 लागू होने की तिथि से तीन माह का समय उपलब्ध होगा। एनरोलमेंट फार्म को फाईल नहीं करने की दशा में जी0एस0टी0 पोर्टल पर ''अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता'' के विवरण उपलब्ध नहीं होंगे, जिसके अभाव में 1 जुलाई से किसी भी व्यापारी द्वारा जी0एस0टी0 पोर्टल पर न ही किसी प्रकार का कोई फॉर्म फाईल किया जा सकेगा और न ही अन्य किसी प्रकार का कोई कार्य (Business) किया जा सकेगा। समाधान योजना स्वीकार करने के लिये भी ''अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता'' का विवरण आवश्यक होगा।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.05.2017 तक प्रदेश में कुल 833290 एक्टिव डीलर्स में से 769827 व्यापारियों द्वारा प्रोविजनल आई0डी0 प्रेषित की जा चुकी है, जिनमें से 577386 व्यापारियों के प्रोविजनल आई0डी0 एक्टिव हो चुके हैं, **परन्तु अभी तक मात्र 75179 व्यापारी ही पूर्ण रूप से एनरोल हुये हैं।**

अतः उपरोक्त 15 दिनों की अवधि में अवशेष समस्त पंजीकृत व्यापारियों के माईग्रेशन/एनरोलमेंट की प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु अपने स्वयं के स्तर से, अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से, तथा समाचार पत्रों व मास मीडिया के अन्य माध्यमों का सदुपयोग करते हुये अपने जोन में शत्-प्रतिशत माईग्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

यह पत्र कमिश्नर महोदय के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।